भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1849

(01 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पक्के आवासों का निर्माण

1849. **श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण गरीबों के लिए पक्के आवासों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) सरकार द्वारा आज तक कुल कितने आवासों का निर्माण किया गया है और शेष आवासों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे आवासों के निर्माण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि तक गरीबों के लिए बनाए गए आवासों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में गरीबों के लिए पक्के आवासों के निर्माण के संबंध में कोई भावी कार्य योजना भी तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है , ताकि मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ पक्के

मकानों के निर्माण के समग्र लक्ष्य सहित पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में लाभार्थियों को कुल 2.93 करोड़ मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और 2.41 करोड़ मकानों का निर्माण भी दिनांक 27.07.2023 तक पूरा हो चुका है।

(घ): पीएमएवाई-जी के तहत दिनांक 27.07.2023 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2,05,789.19 करोड़ रुपये का कुल केंद्रीय अंश जारी किया गया है। पीएमएवाई - जी के तहत मकानों के निर्माण के लिए कुल 3,11,409 करोड़ रुपये (लगभग) का व्यय (जिसमें राज्य का अंश भी शामिल है) किया गया है।

(ङ): प्रधानमंत्री आवास योजना-जी के अंतर्गत 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के कुल लक्ष्य में से 27.07.2023 की स्थिति के अनुसार 2.41 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह मंत्रालय मार्च, 2024 तक शेष 54 लाख (2.95 करोड़-2.41 करोड़) मकानों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह मंत्रालय पीएमएवाई-जी के तहत मकानों का समय पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल कर रहा है:

i. मंत्रालय के स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा।
ii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड की शुरुआत।
iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर लक्ष्यों का आबंटन और पर्याप्त निधियां जारी करना।
iv. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों को केन्द्रीय और राज्य के अंश की निधि जारी करना और भूमि का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
v. निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों को पुरस्कार, जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा पैदा होती है।

(च): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी लाभार्थियों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाते हुए कई उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने , सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने , ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने, अवसंरचना विकास आदि पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है:

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना);
ii. दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम);
iii. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई);
iv. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)।

****